भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2375

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

'उद्यमी मित्र' पोर्टल

2375. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच उद्यमी मित्र पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर कर्नाटक सहित राज्यवार क्या पहल की गई है;

(ख) क्या उद्यमियों को पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो विशेषकर मैसूर और कोडागु जिलों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण उद्यमियों को हैंडहोल्डिंग सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने मैसूर में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्ति में सुधार करने हेतु उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : उद्यमी मित्र पोर्टल एक सक्षम पोर्टल है जो स्टैंडअप मित्र पोर्टल के आईटी आर्किटेक्चर से लाभान्वित होता है और इसका उद्देश्य एमएसएमई की वित्तीय और गैर-वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पहुंच को सुगम बनाना है। स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के तहत उद्यमियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। एसयूपीआई के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का 4 मार्च, 2025 तक राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

दिनांक 04 मार्च, 2024 तक मैसूरू और कोडागु जिले के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विवरण तालिका में दिया गया है:

जिला	प्राप्त आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि [राशि करोड़ में]	संवितरित राशि [राशि करोड़ में]
मैसूरू	873	823	206.58	137.95
कोडागु	206	198	39.08	23.41

उद्योग संघों/साझेदार संस्थानों के सहयोग से एमएसएमई में, उद्यमी मित्र पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए हैण्डहोल्डिंग सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अंतर्गत संस्थानों अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (एनआई-एमएसएमई) और एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) आदि, के एक नेटवर्क द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित मौजूदा और संभावित उद्यमियों के लिए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(घ) मैसूरू जिले सहित, देश में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की प्रक्रिया में सुधार के लिए, कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी दे कर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्लांट और मशीनरी / उपकरण के क्रय के लिए संस्थागत वित्त पर एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना, मुद्रा ऋण आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

*****

अनुबंध

'उद्यमी मित्र' पोर्टल पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2375, जिसका उत्तर दिनांक 13.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 04 मार्च 2025 तक स्टैंडअप (एसयूपीआई) इंडिया का राज्य-वार डाटा निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत खातों की संख्या	स्वीकृत राशि [₹ करोड़]	वितरित राशि [₹ करोड़]
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	409	395	81.25	44.45
2	आंध्र प्रदेश	23,572	15,120	3,413.25	2,411.01
3	अरुणाचल प्रदेश	995	941	185.72	80.8
4	असम	3,924	3,624	838.83	463.86
5	बिहार	9,800	9,321	1,826.24	1,182.64
6	चंडीगढ़	700	684	163.54	100.3
7	छत्तीसगढ़	5,572	5,210	1,319.24	744.56
8	दिल्ली	7,145	6,711	1,631.05	983.63
9	गोवा	946	918	205.92	125.05
10	गुजरात	19,332	18,690	5,366.31	3,337.03
11	हरियाणा	8,677	8,309	1,833.08	1,011.65
12	हिमाचल प्रदेश	3,461	3,400	817.83	387.05
13	जम्मू और कश्मीर	2,866	1,701	369.21	166.1
14	झारखंड	4,814	4,442	921.76	595.23
15	कर्नाटक	17,458	16,493	3,659.33	2,309.95
16	केरल	10,572	10,136	1,946.94	1,230.93
17	लद्दाख	645	635	124.33	55.72
18	लक्षद्वीप	5	3	0.63	0.43
19	मध्य प्रदेश	13,671	13,359	3,317.12	1,844.84
20	महाराष्ट्र	29,275	24,716	5,888.53	3,086.75
21	मणिपुर	591	490	104.44	70.19
22	मेघालय	665	652	154.2	74.73
23	मिजोरम	693	685	160.85	103.35
24	नागालैंड	980	949	211.51	117.09
25	ओडिशा	8,347	8,089	1,916.36	1,393.38
26	पुडुचेरी	562	542	128.12	80.29
27	पंजाब	9,348	9,181	2010.2	1,119.13
28	राजस्थान	14,969	14,691	3,324.01	1,613.83
29	सिक्किम	679	668	104.03	60.61
30	तमिलनाडु	26,840	25,957	5,725.23	2,864.87
31	तेलंगाना	14,972	13,991	3,247.69	1,932.67
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	184	174	46.83	36.17
33	त्रिपुरा	664	636	126.69	82.44
34	उत्तर प्रदेश	29,058	28,009	5,826.37	3,321.73
35	उत्तराखंड	3,926	3,829	926.78	650.25
36	पश्चिम बंगाल	15,043	14,453	2,681.92	1,665.99
	कुल	**2,91,360**	**2,67,804**	**60,605.36**	**35,348.69**

स्रोत: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)